न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2014 नामान्तरकरण अपील

1. कजोड पुत्र कालू जाति मीना निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामी } पुत्रियां केसरा जाति मीना निवासी ग्राम चौंडियावास तहसील लालसोट
2. राजन्ती } जिला दौसा।
3. लाली बेवा केसरा जाति मीना निवासी ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट नामान्तरकरण सं. 1539 आदेश दिनांक 26.05.2014)

उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
2. श्री हरिनारायण माठा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 20.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के हक व आधिपत्य की भूमि आराजी खसरा नं. 48 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट व उसके परिवारजन के अन्य सदस्यगण द्वारा एक वाद पत्र पूर्व में उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में उनवानी कालू बनाम केसरा के नाम से विचाराधीन है। इसी वाद पत्र में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा उक्त आराजी को रहन, बय, हस्तान्तरण एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमा रखे है जो आज दिनांक तक वजूद में है तथा अपीलान्ट व उसके परिवारजन ही सैकडो वर्षो से उक्त आराजी पर काश्त कर पुख्ता मकान, कूप कोठी बनाकर उक्त आराजी का उपयोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी में मृतक केसरा जो कि तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड जमाबंदी में रहा जिसके विरूद्ध अपीलान्ट व उसके पिता कालू व अन्य परिवारजनों की ओर से दावा उनवानी कालू बनाम केसरा उपजिलाधीश लालसोट में आज दिनांक तक लम्बित है तथा इस बाबत विभिन्न राजस्व न्यायालयों में उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होकर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश भी जारी होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज शुदा है। किन्तु न्यायालय तहसीलदार लालसोट के द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 26.05.2014 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 के हक में बावजूद स्थगन नोट के स्वीकृत कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.05.2014 विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत तस्दीक होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पुख्ता मकान, पाटोल पोश एवं पुख्ता कूप बने हुए है। अपीलान्ट का परिवार स्थायी रूप से निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 ने पटवारी एवं गिरदावर के साथ मिलकर उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करवाकर अपीलान्ट के परिवारजनों के जीवन के साथ खिलवाड किया है। उपखण्ड अधिकारी लालसोट के यहां उनवानी मुकदमा कालू बनाम केसरा विचाराधीन है। जिसमे भी अपीलान्ट के पिता कालू के द्वारा उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं कब्जा सैकडों वर्षो से ही अपीलान्ट व उनके बुजुर्गान एवं वर्तमान में परिवारजन साधिकार बहैसियत स्वामी के बतौर खातेदार काश्त कर रहे है एवं हासल व लगान सरकारी भी अदा कर रहे है। तहसीलदार लालसोट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के हक में यह जानते हुए भी कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व से ही राजस्व मुकदमात लम्बित होकर स्थगन आदेश के नोट राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है, उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। विधि में आधिपत्य को एवं वास्तविक व भौतिक कब्जे को सर्वोच्च स्थान दिया गया एवं बिना आधिपत्य धारी को सुनवाई का मौका दिये किसी के भी हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते। किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण गैर कानूनी रूप से एकतरफा में ही तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बतौर नजीर RBJ 2004 Page No. 197, RRD 1993 Page No. 774, RRD 1994 Page No. 129 B पेश कर निवेदन किया गया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.05.2014 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 द्वारा निवेदन किया गया कि 26.05.2014 को विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण विचाराधीन वाद अथवा स्थगन से प्रभावित नहीं होता है। अपीलान्ट का दावा 02.12.2014 को खारिज हो गया। अपीलान्ट्स का कहना है कि उक्त आराजी पर इनके कब्जा है एवं मकान बने हुए है, यह कोई दलील नहीं है। किसी का भी अगर अधिकार प्रभावित होता है तो दावा किया जाता है ना कि नामान्तरकरण अपील की जाती है। **RRD** 2003 के अनुसार नामान्तरकरण की स्थिति हक पैदा नहीं कर देती है। विरासत ट्रान्सफर और डिक्री तीन तरह से नामान्तरकरण सम्भव है। नामान्तरकरण प्रक्रिया से अधिकार विनिश्चित नहीं किये जा सकते है। **RRD** 2010 पेज नं. 96 के अनुसार अगर कोई हक बनते है तो नामान्तरकरण से नहीं दावे से तय करावे। विरासत का नामान्तरकरण आर.ए.ए. के आर्डर से खुला है। अपीलान्ट्स का दावा खारिज हो चुका है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण की अपील महज कब्जे के आधार पर करने का कोई हक नहीं है। अपील में डाक्यूमेंट्स पेश करने का प्रोविजन नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरो का भी भली प्रकार अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण विरासत का खोला गया है। कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण अपील से किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण विचाराधीन वाद अथवा स्थगन से प्रभावित नहीं

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होता है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस पर चस्पा नहीं होती है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है व तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official